दूरसंचार विभाग
लाइसेंसिंग प्रकोष्ठ (मूल्य वर्द्धित सेवा समूह)
संचार भवन, नई दिल्ली-01

सं0 311-80/2000 वीएएस

दिनांक : नवंबर 1,2001

मौजूदा प्रचालकों के प्रवसन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश
तथा
सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाओं (पीएमआरटीएस)
हेतु
जारी नया लाइसेंस

नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी-99) की घोषणा के अनुसरण में, सरकार ने मौजूदा सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा (पीएमआरटीएस) लाइसेंसधारियों का एनटीपी-99 व्यवस्था में प्रवसन करने तथा अतिरिक्त लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है। ये दिशानिर्देश केवल सामान्य सूचना के लिए हैं तथा इनसे कोई कानूनी बाध्यकारी वचनबद्धता का निर्माण नहीं होता है :-

क. **मौजूदा लाइसेंस :**

(i) मौजूदा प्रचालकों को अपने विकल्प के अनुसार डिजिटल प्रौद्योगिकी में प्रवसन करने की अनुमति होगी। मौजूदा प्रचालकों को डिजिटल प्रौद्योगिकी में प्रवसन करने के लिए वरियता दी जाएगी। विशेष सेवा क्षेत्र मे फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की आवश्यकता की सत्यापन के पश्चात नए लाइसेंस देने पर विचार किया जाएगा।

(ii) सभी मौजूदा लाइसेंसधारी डिजिटल प्रौद्योगिकी में प्रवसन की अपनी इच्छा के संबंध एक माह के भीतर सूचित करेंगे तथा नई नीति के संबंध में नया लाइसेंस करार हस्ताक्षरित करना अपेक्षित होगा।

(iii) ऐसे मौजूदा प्रचालक जो नई लाइसेंसिंग व्यवस्था में जाने के इच्छुक नहीं है उनका लाइसेंस, अनुरोध पर, अतिरिक्त दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ताकि इसी प्रणाली के साथ लाइसेंस की कुल अवधि 15 वर्षों तक की जा सके, इस अवधि के दौरान प्रचालक डिजिटल प्रौद्योगिकी में स्थानांतरित हो सकता है। तथापि, उसके लिए कोई स्पेक्ट्रम आरक्षित नहीं रखा जाएगा।

(iv) उन प्रचालकों के लिए जो डिजिटल प्रौद्योगिकी में प्रवसन करने के इच्छुक हैं उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए 1 मेगाहर्टज तक अतिरिक्त फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा तथा इस संबध में पुष्टिकरण के पत्र की तिथि से दो वर्षों के भीतर सकारात्मक रूप से अपने नेटवर्क में स्थानांतरित होने का निदेश दिया जाएगा। नेटवर्क के डिजिटल प्रणाली में स्थानातंरित न होने की स्थिति में लाइसेंस करार रद्द किया जा सकता है। इन प्रचालकों को

लाइसेंस करार की अवधि बढ़ाई जाएगी, ताकि कुल लाइसेंस अवधि को 20 वर्ष किया जा सके।

(v) अनालोग से डिजिटल प्रौद्योगिकी में प्रवसन की अवधि के दौरान अनालॉग प्रणाली के विस्तार के लिए कम से कम 10 चैनल (प्रत्येक 25 किलोहर्टज) आरक्षित रखे जाएंगे।

ख. <u>नए लाइसेंस</u> :

(i) चूंकि उपर्युक्त नीति का कार्यान्वयन पूर्णतः फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की उपलब्धता पर निर्भर है अतः विशेष सेवा क्षेत्र में अतिरिक्त फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की उपलब्धता और मौजूदा प्रचालकों का डिजिटल प्रौद्योगिकी में प्रवसन के निर्धारण के पश्चात नए पीएमआरटीएस लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे।

(ii) पीएमआरटीएस के प्रचालन के लिए नए लाइसेंस गैर-अनन्य के "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर प्रदान किए जाएंगे। लाइसेंस प्रदान करने के समय एक मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा।

(iii) नए पीएमआरटीएस लाइसेंसों का प्रयोग केवल डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए बाध्य होगा।

(iv) लाइसेंस की अवधि 20 वर्ष के लिए होगी।

ग. <u>मौजूदा लाइसेंसधारियों के साथ-साथ नए लाइसेंसधारियों पर लागू शर्तें</u> :-

1. <u>सेवा क्षेत्र</u> :

(क) मैट्रो सेवा क्षेत्र : पीएमआरटीएस लाइसेंस के लिए मैट्रो सेवा क्षेत्र मौजूदा सेल्युलर सेवा प्रचालकों के लिए सेल्युलर सेवाओं के मामले में भी लागू होगा।

(ख) अन्य शहरों के लिए : अन्य शहरों के लिए सेवा क्षेत्र में शहर की म्युनिसिपल सीमा 10 कि0मी0 की दूरी के साथ समाहित होगी।

(ग) राजमार्ग के साथ एक नए प्रकार के सेवा क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। राजमार्गों का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राज मार्गों/राज्य की सीमा से सटी अन्य जिला सड़कों को कवर करेगा।

2. **प्रवेश शुल्क और लाइसेंस शुल्क :**

(क) कोई प्रवेश शुल्क नहीं होगा।

(ख) सभी पीएमआरटीएस लाइसेंसधारी, इसमें कैपटिव मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सेवा का प्रयोग करने वाले भी शामिल हैं। जन सेवा जैसे कि पुलिस, अग्निशमन और सरकारी सुरक्षा आदि जैसी एजेंसियों के लिए कार्य करने वालों को छोड़ कर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगे।

(ग) वाणिज्यिक पीएमआरटीएस प्रणाली के लिए लाइसेंस शुल्क सेवा (यूएसओ के लिए अंशदान हेतु प्रयोग की जाने वाली) से "समायोजित सकल राजस्व " (एजीआर) का 5% होगा। एजीआर की परिभाषा वही होगी जो अन्य वर्द्धित सेवाओं अर्थात जीएमपीसीएस सेल्युलर ओर बुनियादी सेवा आदि के संदर्भ में रही है।

(घ) कैपटिव पीएमआरटीएस प्रणालियों के लिए लाइसेंस शुल्क प्रति लाइसेंस क्षेत्र 25000/- रु0 प्रति वर्ष की निम्नतम राशि के साथ प्रति टर्मिनल प्रति वर्ष 300 रु0 होगा।

(ङ) रेडियो स्पेक्ट्रम के प्रयोग के लिए अलग प्रकार (रायल्टी और लाइसेंस शुल्क) होगा; वाणिज्य के साथ-साथ कैपटिव प्रणाली के लिए पीएमआरटीएस लाइसेंसों से स्पेक्ट्रम चार्जिंग का मौजूदा प्रबंध जारी होगा। यह समय-समय पर डब्ल्यूपीसी द्वारा किए गए परिवर्तनों के अध्यधीन होगा।

(च) वित्तीय बैंक गारंटी : लाइसेंसधारी को एक लाख रु0 या पिछले वर्ष की छह माह की वित्तीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, यह कम से कम एक वर्ष के लिए वेध होगी तथा इसे लाइसेंस करार की संपूर्ण अवधि के लिए जारी रखना होगा।

3. **अतिरिक्त फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का आवंटन :**

एक मेगाहर्ट्ज से ज्यादा स्पेक्ट्रम पर केवल संपूर्ण सेवा क्षेत्र को सेवा से कवर करने तथा उपभोक्ताओं की संख्या 10,000 तक पहुचने के पश्चात आबंटन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए ही विचार किया जा सकता है। अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों की घोषणा तदन्तर यथा समय की जाएगी।

4. **इंटरकनेक्शन :**

(क) पीएसटीएन कनेक्टिविटी : एनालॉग प्रणालियों को चालू करने के लिए 5 आरएफ चैनल (25 किलोहर्ट्ज प्रत्येक) हेतु एक पीएसटीएन लाईन तथा डिजिटल प्रणाली के लिए नए लाइसेंसों हेतु एक ई1 लिंक के रूप में पीएसटीएन कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

(ख) अंतर-स्थल कनेक्टिविटी : पीएमआरटीएस सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस क्षेत्र के भीतर उनकी अपनी साइटों के बीच अंतर-स्थल कनेक्टिविटी, प्रदान की जाएगी।

5. अन्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्शन जाँच पारस्परिक आयोजन द्वारा की जा सकती है। इंटरकनेक्शन जाँच समय-सारणी पारस्परिक सहमति से बनाई जाएगी। इन जांचों के लिए लाइंसेंसधारी द्वारा पर्याप्त समय, अर्थात कम से कम 30 दिनों से अधिक का समय दिया जाएगा।

6. अन्य नेटवर्कों के साथ अभिगम या इंटर कनेक्शन के लिए प्रभार सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक करार पर आधारित होंगे जो कि ट्राई अधिनियम, 1997 के तहत ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी किसी संकल्प, विनियमन, आदेशों या निदेश के अनुपालन के अध्यधीन होगा।

7. पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वयं का नेटवर्क स्थापित करेगा ताकि अन्य सेवा/अभिगम प्रदाताओं के उपस्कर से प्रतिस्पर्धा बनी रहे जिसके लिए पीएमआरटीएस लाइसेंसधारी की अनुप्रयोज्य प्रणाली इंटरकनेक्शन के लिए निहित की गई है।

8. पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक लाइसेंस नेटवर्क का प्रचालन और अनुरक्षण करेगा जिसमें नेटवर्क-नेटवर्क इंटरफेस के संबंध में सेवा मानकों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक सहमती होगी जोकि समय-समय पर लाइसेंसप्रदाता या ट्राई द्वारा अन्य अनुदेशों के अध्यधीन हो। नेटवर्क से नेटवर्क इंटरफेस के लिए टीईसी द्वारा निर्धारित मानकों और ट्राई द्वारा निर्दिष्ट सेवा की गुणवत्ता को पूरा करने में किसी लाइसेंसधारक की ओर से कोई चूक होने पर लाइसेंसधारक के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की जाएगी।

9. सुरक्षा के हित में प्रत्येक प्रकार की प्रणाली के लिए निर्धारित उपयुक्त अनुश्रवण उपस्कर जब भी लाइसेंसप्रदाता द्वारा ऐसा अपेक्षित होगा मॉनीटरिंग के लिए लाइसेंसधारक के लिए प्रदान किए जाएगें।

10. लाइसेंस का अंतरण

लाइसेंस प्रदाता की नीचे वर्णित पूर्व लिखित सहमति के बिना लाइसेंसधारक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी तरीके से, तीसरे पक्ष् को इस लाइसेंस को सुपुर्द अथवा अंतरित नहीं करेगा अथवा उप-लाइसेंस के लिए कोई करार नहीं करेगा और/अथवा किसी तीसरे पक्ष से लाइसेंस संबंधी किसी विषय के बारे में पूर्णतः अथवा आंशिक साझेदारी नहीं करेगा अर्थात कोई उप-पट्टा/साझेदारी/ तीसरे पक्ष का हित सृजित नहीं करेगा।

तथापि, यदि प्रस्तावित हस्तातंरिती कंपनी नए पीएमआरटीएस लाइसेंस की स्वीकृति के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करती है तो लाइसेंसधारक द्वारा पीएसआरटीएस लाइसेंस के हस्तांतरण की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

11. नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली कंपनी को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा :-

(क) कंपनी या किसी प्रवर्तक/भागीदार या संबद्ध/सहयोगी संस्थान जो हो के भारतीय तार अधिनियम 1885 (भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 सहित) के खंड 4 के अंतर्गत प्रदान किए गए किसी लाइसेंस से उत्पन्न सभी भुगतानों के संबंध में दूरसंचार विभाग के सभी देयताओं का निपटान।

(ख) यदि दूरसंचार सेवा(ओं) के लिए कंपनी या प्रवर्तन/भागीदार या उनकी संबद्ध कंपनी भी लाइसेंस रखती है तो उन्हें अवश्य ही यह प्रस्तुत करना होगा।

(i) बिना किसी आरक्षण या परिवर्तन के लंबित रॉल आउट दायित्वों की पूर्ति बॉण्ड (निर्धारित प्रारूप में) के रूप मे एक शर्तरहित और सुस्पष्ट शपथपत्र, प्रस्तुत करें अन्यथा निहित लागत की लाइसेंसदाता को क्षतिपूर्ति।

(ii) अपूर्ण रॉल आउट दायित्वों वाले विभिन्न लाइसेंस करारों में अनुबद्ध विभिन्न निष्पादन बैंक गारंटियों के जोड़ की राशि के समकक्ष दो वर्ष के लिए वैधता वाली (निर्धारित प्रारूप में), एक अतिरिक्त निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करें। तथापि, प्रत्येक मौजूदा बुनियादी टेलीफोन सेवा लाइसेंस, यदि कोई हो, के संबंध में, इस उद्देश्यार्थ पचास करोड़ रु0 की राशि जोड़ी जाएगी। बशर्ते कि विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंसों की संख्या पर ध्यान न देते हुए लाइसेंस प्रदान करने के केवल पहले अवसर पर अतिरिक्त निष्पादन बैंक गारटी जमा की जाएगी।

(iii) उपर्युक्त क्षतिपूर्ति बांड और अतिरिक्त निष्पादन बैंक गारंटी के पहले ही जमा करने की स्थति में, इसका प्रमाण प्रदान किया जा सकता है।

12. आवेदक कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारतीय कंपनी होनी चाहिए।

13. संपूर्ण लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय आवेदक कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए। एनआरआई/ओसीबी/अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों द्वारा आवेदक कंपनी की इक्विटी में किया गया निवेश उसकी विदेशी इक्विटी में गिना जाएगा। इस बारे में आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी जिसका आशय होगा कि आवेदक कंपनी में कुल विदशी इक्विटी 49% से अधिक नहीं है।

14. पीएमआरटीएस प्रदाता बिना किसी भेदभाव के सेवा क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

15. लाइसेंसधारक सेवा प्रदान करने में निहित संपूर्ण अवसंरचना के लिए स्वयं इंतजाम करेगा तथा संस्थापना, आवश्यक उपस्कर और प्रणालियों की नेटवर्किंग और प्रचालन, उपभोक्ता की शिकायतों का निरूपण, अपने उपभोक्ताओं के बिल जारी करना, राजस्व का संग्रहण, अपने प्रचालनों से उत्पन्न दावों और क्षतियों पर ध्यान देने के लिए एकमात्र रूप से जिम्मेदार होगा।

16. लाइसेंसधारी सामान्यतः अपने नेटवर्क में बल्क एनक्रिप्शन इक्विपमेंट का प्रयोग नहीं करेगा। तथापि, यदि लाइसेंसधरी के नेटवर्क में किसी एनक्रिप्शन उपस्कर का प्रयोग किया जाता है तथा

वह उसके नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो उसका पूर्व मूल्यांकन होना चाहिए तथा सरकार से इसका लिखित रूप से अनुमोदन होना चाहिए।

17. लाइसेंसधारी गुप्तचर्या, विद्रोही गतिविधि, विध्वसांत्मक या कोई अन्य अवैध गतिविधि रोकने के लिए सरकार को संबद्ध समय में विशिष्ट स्थति पर निर्भर करते हुए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों की मांग पर तकनीकी जांच और निरीक्षण के लिए, जोकि दृश्य निरीक्षण या प्रचालनात्मक निरीक्षण हो सकता है के लिए गेटवे अर्थ स्टेशन पर पूर्ण अभिगम, इटरसेप्ट कंट्रोल् सेंटर, रूटर्स आदि की सुविधा उपलब्ध करेगा।

18. लाइसेंसधारी के नेटवर्क के संस्थापन, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए लाइसेंसधारी द्वारा लगाए जाने वाले सभी बाह्य व्यक्तियों को उनकी नियुक्ति से पूर्व भारत सरकार से सुरक्षा की दृष्टि से क्लियरेंस लेनी होगी। सुरक्षा क्लियरेंस गृह मंत्रालय, भारत सरकार से लेनी होगी, जोकि इस मामले में मानक सख्त नियमों का अनुपालन करेगा। लाइसेंसधारी बातचीत की गोपनीयता की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि संदेशों का अनाधिकृत इंटरसेप्शन न हो पाए।

19. लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि संचार की निजता सुरक्षित रहे और साथ ही संदेशों का अनाधिकृत इंटर सेप्शन न हो पाए।

20. पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक समय-समय पर यथा संशोधित ट्राई अधिनियम 1997 के तहत ट्राई द्वारा जारी कोई आदेश निदेश या संकल्प अधिनियमन का अनुपालन करेगा।

21. लाइसेंसदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह भारत सरकार द्वारा यथा घोषित राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अथवा राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध या कम तीव्रता संघर्ष या जनहित में कोई अन्य समान परिस्थितियों में इस लाइसेंस को सेवा क्षेत्र मे पूर्णतः अथवा अंशतः रद्द/समाप्त/निलंबित कर सकता हैं। इन परिस्थितियों के अध्यधीन सरकार की ओर जारी कोई विशिष्ट आदेश या निदेश लाइसेंसधारी पर लागू होंगे ता इनका अनुपालन सख्ती से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि सुरक्षा की विवक्षा यथा अपेक्षित हो, तो लाइसेंसदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है, कि वह किसी भी क्षेत्र को सेवा के प्रचालन अंचल से बाहर रख सकता है।

22. लाइसेंसदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, जन हित ओर टेलीग्राफों के सुचारू प्रचालन के हित में आवश्यक समझे जाने वाली नई शर्तों को लागू कर सकता है या मौजूदा शर्तों को आशोधित कर सकता है।

23. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा की गई दूरसंचार संस्थापना से कोई सुरक्षा संबधी खतरा नहीं होगा तथा सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं होगा।

24. लाइसेंसधारी देश के संस्थापित कानून के अनुरूप, अपने नेटवर्क से छोड़ी जा रही आपत्तिजनक, अश्लील, अनाधिकृत या अन्य साम्रगी, संदेश या संचार जो किसी भी रूप में प्रकाशनाधिकार, बौद्धिक संपदा आदि का उल्लंघन करती है को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। यदि अधिकृत एजेंसियों द्वारा लाइसेंसधारी को ऐसे उल्लंधन का कोई विशिष्ट उदाहरण

बताया जाता है तो लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नेटवर्क से ऐसी सामग्री के संचालन को तुरंत रोक दिया जाता है। लाइसेंसधारी अपने उपस्कर और नेटवर्क के माध्यम से संचारित उपद्रवी, आपत्तिजनक या विद्वेषपूर्ण् कॉलों, संदेशों या बातचीत का पता लगाने के लिए बिना किसी विलंब के ट्रेसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य है। इस बारे लाइसेंसधारी की ओर से हुई किसी गलती कीं वजह से किसी क्षति का भुगतान लाइसेंधारी द्वारा किया जाएगा।

25. यदि करार के उचित कार्यान्वयन के लिए लाइसेंसधारी को कोई गोपनीय सूचना प्रस्तुत की जाती है तो लाइसेंसधारी और उसके कर्मचारी और नौकर उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बाध्य होंगे।

26. दूरसंचार विभाग को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए लाइसेंस प्रदान करने की अस्वीकृति दे सकता है।

27. आवेदन या लाइसेंस, यदि स्वीकृत है तो उनसे संबंधित सभी मामले टीडीएसएटी के क्षेत्राधिकार में आएंगे।

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसचांर विभाग
(वीएएस प्रकोष्ठ)
संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
****

डिजीटल प्रौद्योगिकी में पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) का प्रचालन करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन।

(कृपया इस प्रपत्र को भरने से पहले दिशा-निर्देशों और मसौदा लाइसेंस करार को ध्यानपूर्वक पढ़े। आवेदन पत्र के प्रत्येक और सभी बिंदुओं पर पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। अतिरिक्त पृष्ठ यदि आवश्यक हो, जोड़े जा सकते हैं। सशर्त विवरण वाले अपूर्ण आवेदन को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।)

1. आवेदक कंपनी का नाम .....
.....
.....

2. सेवा क्षेत्र
(प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए
पृथक आवेदन प्रस्तुत किया जाना है) .....

3. अन्य सेवा क्षेत्र का
नाम जिसके लिए अलग से
आवेदन प्रस्तुत किया गया है .....
(पृथक कागज, यदि आवश्यक हो, लगाएं)

4. टेलीफोन/फैक्स नं0 सहित .....
संपूर्ण डाक पता .....

.....
(i) निगमित कार्यालय .....
.....
(ii) पंजीकृत कार्यालय .....
.....

5. टेलीफोन और फैक्स न0
सहित संपर्क किए जाने वाले
प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम .....

6. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (ब्योरा **अनुबंध-I** में संलग्न है)

7. कंपनी में प्रवर्तक/भागीदार :
(इक्विटीधारिता का ब्योरा)

क्र0सं0	**प्रवर्तक/भागीदार का नाम**	**भारतीय/विदेशी**	**इक्विटी(प्रतिशत)**
____	_____	_____	_____
____	_____	_____	_____
____	_____	_____	_____

(कुल विदेशी इक्विटी की भागीदारी, यदि कोई हो 49% की सीमा तक की अनुमति है जिनमें अनिवासी भारतीय इक्विटी,प्रत्यावर्तनीय और गैर- प्रत्यावर्तनीय दोनों शामिल है। 100% इक्विटी का पूर्ण ब्योरा दिया जाना चाहिए।)

8. तकनीकी/वाणिज्यिक प्रस्ताव व्यवसाय का ब्योरा दें। प्रस्तावित सेवा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ योजना (ब्योरा **अनुबंध-II** में संलग्न है।)

9. कंपनी और इसके प्रवर्तकों के बीच करार, प्रवर्तकों के बीच करार (विदेशी भागीदार, यदि कोई हो सहित) की प्रमाणित प्रतियां (ब्योरा **अनुबंध-III** में संलग्न है)

10. विदेशी सहयोग के संदर्भ में भारत सरकार के अनुमोदन की प्रमाणित प्रति अथवा इस संबंध में एलआईए/सरकार को दिए गए आवेदन की प्रति प्रस्तुत करने का प्रमाण सहित (ब्योरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।)

11. आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को वैध आयकर बेबाकी पत्र (ब्योरा **अनुबंध-V** में संलग्न है)

12. कंपनी और इसके प्रवर्तक/भागीदार या सहयोगी/संबद्ध कंपनी यदि कोई हो, द्वारा धारित दूरसंचार सेवा लाइसेंसों की सूची और उनकी वर्तमान स्थिति जिनमें इन लाइसेंसों के प्रति बेबाकी प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। (अलग कागज, यदि आवश्यक हो, संलग्न करें)

(i) .....

(ii) .....

13. निदेशक मंडल का संकल्प/कोई अन्य प्रमाण कि आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है। (ब्योरा **अनुबंध-VI** में संलग्न है)

14. प्रक्रिया शुल्क के भुगतान के लिए डिमांड ड्राफ्ट ;

(i) सं0 और तारीख .....
(ii) राशि बीस हजार रु0 मात्र
(iii) बैंक का पूरा नाम .....
(डिमांड ड्राफ्ट एक अलग कवर में रखें ओर आवेदन के साथ संलग्न करें)

15. निष्पादन बैंक गारंटी .....
(i) सं0 और तारीख .....
(ii) राशि .....
(iii) वैधता (तारीख) तक .....
(iv) बैंक का नाम .....
पूरे पते टेलीफोन/फैक्स न0 सहित .....

(एक अलग कवर मे रखे और आवेदन के साथ संलग्न करे)

प्रमाण पत्र :-

1. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा (पीएमआरटीएस) संबंधी दिशा-निर्देशों और मसौदा लाइसेंस करार को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, मैं इनमें उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन करूंगा।

2. मैं समझता हूँ कि यदि यह अवेदन, किसी भी संबंध में अपूर्ण पाया जाता है और/अथवा इसमें सशर्त अनुपालन पाया जाता है अथवा प्रक्रिया शुल्क और/या अपेक्षित बैंक गारंटी नहीं पाई जाती है तो सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

3. मैं समझता हूँ कि लाइसेंस शुल्क अप्रतिदेय है चाहे लाइसेंस मुझे प्रदान किया जाए या नहीं।

4. मैं लाइसेंस करार जिसका मसौदा मुझे भेजा गया है पर मुझे बताए गए निर्धारित समय के भीतर हस्ताक्षर करने का वचन देता हूँ और ऐसा न करने पर मेरा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और प्रक्रिया शुल्क जब्त कर ली जाएगी।

5. मैं समझता हूँ कि आवेदन से संबधित सभी मामले तथा मुझे प्रदान किया गया लाइसेंस यदि है तो यह दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) के क्षेत्राधिकार में होगा।

6. मैं समझता हूँ कि ऐसी कंपनियां जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत प्रदान किए गए अन्य दूरसंचार सेवा लाइसेंसों के संबंध में संविदात्मक दायित्वों का निर्वाह करने में असफल रही हैं को पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिग सेवा (पीएमआरटीएस) लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा और उनकी सहयोगी या संबद्ध कंपनियां भी इसके लिए पात्र नहीं होंगी।

7. मैं प्रमाणित करता हूं कि आवेदन प्रपत्र के मद सं0 12 में उल्लिखित कंपनियों ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत प्रदान किए गए लाइसेंस की शर्तों में कोई चूक नहीं की है।

8. मैं समझता हूँ कि यदि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया कोई प्रमाण और कोई सूचना किसी भी समय गलत पाई जाती है तो पूरा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और इस आधार पर प्रदान किया गया कोई लाइसेंस समाप्त करने योग्य होगा।

तिथि
स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
का नाम एवं हस्ताक्षर
(कंपनी की सील)

मैसर्स .....की ओर से
श्री .....द्वारा
दिनांक ..... के जीपीए धारक
संकल्प सं0 ..... के अनुसार निष्पादित

निदेशकों के मंडल द्वारा दिनांक.....
को पारित किया गया ।

अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्डों/वैश्विक कॉलिंग कार्डों के विक्रय/किराये के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की संशोधित नीति

भारत में अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्डों/वैश्विक कॉलिंग कार्ड की बिक्री/किराये के संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा "अनापत्ति प्रमाण-पत्र " निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ जारी किए जाएंगे।

एनओसी की निबंधन और शर्तें

(i) भारतीय ग्राहकों को दिए जा रहे कार्ड केवल भारत के बाहर प्रयोग के लिए होंगे। तथापि, यदि ग्राहक के प्रस्थान से पूर्व/अथवा ग्राहक के आगमन के बाद टेस्ट कॉल/आपातकालीन कॉल के लिए कार्ड को सक्रिय करना जरूरी हो तो ऐसा करने की अनुमति प्रदान करने से पूर्व अड़तालीस (48) घंटों तक तथा भारत में आगमन के पश्चात केवल चौबीस (24) घंटों तक के लिए दी जाएगी।

(ii) इन कॉलिंग कार्डों से किए गए वैसे टेस्ट कॉल/आपातकालीन कॉल अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग कालें होंगी।

(iii) ग्राहकों की अधिप्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए (फोटो पहचान पत्र तथा आवासीय पते का साक्ष्य आदि) ऐसे कार्डों का विक्रय करने किराये पर देने से पूर्व इन कार्डों के प्रयोक्ताओं का समुचित सत्यापन किया जाएगा। वैध वीजा को दर्शाने वाले ग्राहक के पासपोर्ट की प्रति भी प्राप्त की जाएगी।

(iv) उस व्यक्ति जिसे अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग कार्ड बेचे गए हैं/किराए पर दिए गए हैं के पते सहित पूर्ण ब्यौरे के साथ-साथ ऐसे वैश्विक कार्डों (अवधि सहित) का पूर्ण ब्योरा पदनामित सुरक्षा एजेंसियों को आवधिक रूप से मासिक आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) किसी एजेंसी जैसे आरबीआई।सीमा शुल्क आदि से सभी प्रकार की स्वीकृति या कंपनी द्वारा विधिवत ली जाएगी।

(vi) अन्य देश से किए गए तथा भारत में समाप्त होने वाले परियात को वैध आई एलडी लाइसेंसों/वैध आईएलडी गेटवेज के माध्यम से भेजा जाएगा।

(vii) ऐस सिम/कॉलिंग कार्डों को बेचने/किराए पर देने वाली कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि भारत में ऐसे कार्डे को सक्रिय बनाने की समय-सीमा, जैसा कि उपर्युक्त पैरा (i) में उल्लिखित है का पालन सुनिश्चित करेगी और ऐसा नहीं करने पर कपंनी पर प्रत्येक सिम/कॉलिंग कार्डों के लिए सक्रियता के प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए प्रति घंटे 500/- रु0 का दंड लगाया जाएगा।

(viii) अनापत्ति प्रमाण पत्र शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा और बाद में इसे कंपनी के अनुरोध पर नवीकृत किया जाएगा।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड/वैश्विक कॉलिंग कार्ड की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन कैसे करें

अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजने के लिए आवेदन सादा कागज पर दिया जाना चाहिए तथा उसे निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निदेशक (सीएस-I) संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली - 01 को भेंजे :-

(क) ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम सहित कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी कंपनी के निगमीकरण के प्रमाण पत्र की सत्यापित सही प्रति।

(ख) आवेदक कंपनी और विदेशी दूरसंचार कंपनियों के बीच करार की सत्यापित सही प्रति।

(ग) विभिन्न देशों से कॉल करने के लिए उपयोग किए जा रहे कोडों की सूची सहित किसी भी देश से कॉल करने की प्रक्रिया।

(घ) हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी के पक्ष में यथा लेख्य प्रमाणक मुख्तारनामा आम या हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी के संबध में बोर्ड संकल्प की सत्यापित प्रति।